

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर

मनोचिकित्सा केन्द्र के सामने चिकित्सा शिक्षा भवन गोविन्द मार्ग जयपुर
ई-मेल directormedicaleducation@gmail.com, addr.dme-ri@gov.in

प.7(48) कोटा/चि.शि.नि./एके/2015/पार्ट II/ 2926

दिनांक 26/6/19

आदेश


राज्य मंत्रिमण्डल की आज्ञा 95/2015 दिनांक 04.05.2015 के द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2014 -15 के पश्चात बढ़ाई जाने वाली सीटों पर 15 प्रतिशत एनआरआई सीटों का प्रावधान किया गया है।

वित्त (राजस्व) विभाग की आई डी सं. 101902950 दिनांक 25.6.2019 के द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2014 -15 के पश्चात बढ़ाई जाने वाली सीटों पर 15 प्रतिशत एनआरआई सीटों पर प्रवेश पाने वाले छात्रों से यू.एस \$1,05,000 (एक लाख पाँच हजार यू.एस डालर मात्र) प्रति छात्र कुल अध्ययन अवधि की फीस वसूल करने की अनुमति दी गई है। उक्त फीस में वार्षिक वृद्धि 5 प्रतिशत (5%) की बढ़ोतरी किये जाने की अनुमति प्रदान की है।

कॉलेज की समस्त एन.आर.आई सीटों पर प्रवेश मेरिट के अनुसार प्रतिभाशाली छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। एन0आर0 आई0 सीट खाली रहने की स्थिति में उन्हे जनरल सीट में परिवर्तित किया जाएगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी किये गये हैं।

यह बढ़ोतरी शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर प्रभावी होगी।



अतिनिदेशक (प्रशा0) एवं
पदेन उप शासन सचिव

प.7(48) कोटा/चि.शि.नि./एके/2015/पार्ट II/

दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1)/आयोजना/राजस्व/बजट विभाग जयपुर।
4. निजी सहायक, उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, (ग्रुप-1) जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0/एम.ई) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर।
7. संयोजक नीट यू.जी. काउन्सलिंग बोर्ड 2019 प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
8. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर / अजमेर/ जोधपुर / बीकानेर/ उदयपुर/ कोटा/ राज.स्वा.वि.वि. कॉलेज ऑफ मेडिकल साइन्सेस
9. डीन झालावाड मेडिकल कॉलेज, झालावाड।
10. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज चूरू/ भीलवाडा/ बाडमेर/ भरतपुर/ डुंगरपुर/ पाली।
11. उपनिदेशक राजमेस निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
12. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
13. गार्ड फाईल।


अतिनिदेशक (एम0ई0)

Pl, w/plead
on website
26/06/19